

प्रेषक

महानिदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,  
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

सेवा में

- ✓ 1. हरियाणा राज्य के सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड/निगम,
  2. हरियाणा राज्य के सभी विभागाध्यक्षों/बोर्डों/निगमों में कार्यरत लेखाधिकारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी व मुख्य लेखाधिकारी ।
- क्रमांक 6171-टीए-हर-1टी-2016 / 5001-02  
दिनांक: 20/7/16  
विषय:- शोधन पत्र जारी करने बारे निर्देश ।

उपरोक्त विषय पर सरकार के पत्र क्रमांक 18/15/2016-4वि0ले0, दिनांक 30.06.2016 व मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग के प0 क्रमांक 4/2/2002-1चौ0, दिनांक 18.09.2015 (प्रतियां सलग्न हैं) के सन्दर्भ में ।

विषयाधीन मामले में मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग, हरियाणा ने आपने उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा सेवानिवृत्ति से पूर्व शोधन पत्र जारी करवाने के लिए प्रोफार्मा जारी किया है । अतः इसी अनुसार सूचना भेजने के लिखा है । अतः प्रोफार्मा की प्रति आपको इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि आपके कार्यालय में कार्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी व मुख्य लेखाधिकारी की सेवानिवृत्ति से लगभग एक वर्ष पूर्व सूचना इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें । ताकि मामले में समय पर कार्यवाही की जा सके ।

संयुक्त निदेशक,

कृते: महानिदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,  
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

दिनांक:

पृ. क्रमांक 6171-टीए-हर-1टी-2016 /

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही

हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, वि0 ले0 शाखा ।
2. 18टी खजाना तथा लेखा विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

संयुक्त निदेशक,

कृते: महानिदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,  
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

6171  
27/11/16

प्रेषक:

SD(S/KS)

सेवा में

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
वित्त विभाग।

महानिदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,  
हरियाणा चण्डीगढ़।

यादी क्रमांक 18/15/2016-4वि.ले.  
दिनांक 30.06.2016

विषय:-

श्री जयपाल मनचन्दा, लेखाधिकारी के पक्ष में चौकसी विभाग हरियाणा से शोधन पत्र जारी करवाने बारे।

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र क्रमांक-14960-टी0ए0(1टी)2016/4376, दिनांक 21.06.2016 के संदर्भ में।

विषयोक्त मामले में आपको मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार चौकसी विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक 4/2/2002-चौ0-1, दिनांक 18.09.2015 की प्रति इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि श्री जयपाल मनचन्दा, लेखाधिकारी के पक्ष में शोधन पत्र जारी करवाने बारे, चौकसी विभाग के उक्त पत्र अनुसार सरकार को प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित करें, अधिकारी दिनांक 30.09.2016 को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहा है।

अधीक्षक, वित्त लेखा,

कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
वित्त विभाग

पे. क

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. हरियाणा राज्य के सभी प्रशासकीय सचिव एवं विभागाध्यक्ष।
2. सभी मण्डल आयुक्त एवं हरियाणा के सभी उपायुक्त।
3. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय तथा राज्य के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश।

दिनांक चण्डीगढ़, 18/09/2015


विषय:- शोधन-पत्र जारी करने बारे निर्देश।

महोदय,

प्रायः यह देखने में आया है कि जब भी किसी विभाग/कार्यालय द्वारा शोधन-पत्र जारी करने के लिए पत्र भेजा जाता है तो उसमें अधिकारियों/कर्मचारियों का पूरा नाम न देकर संक्षिप्त नाम दे दिया जाता है अथवा अधिकारियों/कर्मचारियों का पूर्ण नाम कुलनाम सहित न देकर केवल नाम दिया जाता है जिससे अधिकारियों/कर्मचारियों की पहचान स्थापित करने में समस्या होती है और सही शोधन-पत्र जारी करने में मुश्किल आती है। अतः आपसे अनुरोध है कि शोधन-पत्र के लिए जो पत्र/प्रस्ताव इस विभाग को भेजा जाए, उसमें सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम और उसका कुलनाम/उपनाम, जो विभाग के रिकार्ड में दर्ज है, लिखकर भेजा जाये व आवश्यक सूचना निम्नलिखित प्रपत्र में दिये गये विवरण अनुसार इस विभाग को भेजी जाये:-

अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम/कुलनाम/उपनाम यदि दर्शाया गया है	पिता का नाम	जन्म तिथि	भर्ती तिथि	भर्ती के समय रैंक या पद	पिछले दस वर्ष की नियुक्तियों का ब्यौरा	यू0आई0 डी0 नम्बर


2. उक्त अनुसार सूचना के अभाव में शोधन-पत्र जारी करना सम्भव नहीं होगा।

  
17/9/15  
उप-सचिव, चौकसी  
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

पृष्ठांकन क्रमांक 4/2/2002-1चौ0-1

दिनांक: चण्डीगढ़ 18/09/2015

इसकी एक प्रति महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा को उनके पत्र क्रमांक 13254/रा0चौ0ब्यू0(ह) दिनांक 4.9.2015 के सन्दर्भ में सूचनार्थ भेजी जाती है।

  
17/9/15  
उप-सचिव, चौकसी  
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

प्रेषक

महानिदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,  
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

सेवा में

1. हरियाणा राज्य के सभी विभागाध्यक्ष/बोर्ड/निगम,
2. हरियाणा राज्य के सभी विभागाध्यक्षों/बोर्डों/निगमों में कार्यरत लेखाधिकारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी व मुख्य लेखाधिकारी ।

क्रमांक 6171-टीए-हर-1टी-2016 / 5003-08

दिनांक: 20/7/16

विषय:-

शोधन पत्र जारी करने बारे निर्देश ।

उपरोक्त विषय पर सरकार के पत्र क्रमांक 18/15/2016-4वि0ले0, दिनांक 30.06.2016 व मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग के प0 क्रमांक 4/2/2002-1चौ0, दिनांक 18.09.2015 (प्रतियां सलंगन हैं) के सन्दर्भ में ।

विषयाधीन मामले में मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग, हरियाणा ने आपने उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा सेवानिवृत्ति से पूर्व शोधन पत्र जारी करवाने के लिए प्रोफार्मा जारी किया है । अतः इसी अनुसार सूचना भेजने के लिखा है । अतः प्रोफार्मा की प्रति आपको इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि आपके कार्यालय में कार्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी व मुख्य लेखाधिकारी की सेवानिवृत्ति से लगभग एक वर्ष पूर्व सूचना इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें । ताकि मामले में समय पर कार्यवाही की जा सके ।

संयुक्त निदेशक,

कृते: महानिदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,  
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

दिनांक:

पृ. क्रमांक 6171-टीए-हर-1टी-2016 /

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही

हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, वि0 ले0 शाखा ।
2. 18टी खजाना तथा लेखा विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

संयुक्त निदेशक,

कृते: महानिदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,  
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

प्रेषक

निदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,  
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

सेवा में

हरियाणा राज्य के सभी विभागाध्यक्षों में कार्यरत

सभी लेखाधिकारी व वरिष्ठ लेखाधिकारी ।

यादी क्रमांक 4792-टीए-हर-18टी-2016 / 4968-80

दिनांक: 20/7/16

विषय:-

Senior Accounts Offices(2 vacancies)General Central Service  
(Group A), Gazetted, Non Ministerial in the pay band 3: Rs 15600-  
39100+6000 Grade Pay .

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में ।

विषयाधीन मामले में आपको सूचित किया जाता है कि, वरिष्ठ लेखा अधिकारी/लेखा अधिकारी सहायक निदेशक/जी इंटेलीजेंस ब्यूरो गृह मन्त्रालय, भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति आधार पर जाना चाहते हैं तो अपनी आपशन 15 दिन के अन्दर-अन्दर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें ।

संयुक्त-निदेशक,  
कृते: महानिदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,  
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

पृ० क्रमांक 4792-टीए-हर-18टी-2016 /

दिनांक:

इसकी एक प्रति अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार (वि०ले०शाखा)

को उनके पत्र क्रमांक 10/3/2004-1वि०ले० दिनांक 25.05.2016 के सन्दर्भ में  
सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

संयुक्त-निदेशक,  
कृते: निदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,  
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।